

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- अविचल चतुर्वेदी

आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 191/2019

1. आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात नाम ए.यू. हस्सिग फाईनेंस लिमिटेड) 201-202, 2 द्वितीय तल साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर -302020 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अश्विन भारद्वाज।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती प्रियंका देवी पत्नि श्री सुदामा मीणा पता:- बानवाली की ढाणी, मेवालों का मोहल्ला, पुरोहितों का बास, काली पहाड़ी दौसा राजस्थान -303325
दूसरा पता:- पट्टा नं० 36, बुक नं० 07, मिसल नं० 32, गांव मेवालों की ढाणी, पुरोहितों का बास, ग्राम पंचायत काली पहाड़ी, पंचायत समिति दौसा जिला दौसा।
2. श्री सुदामा मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा पता:- बानवाली की ढाणी, मेवालों का मोहल्ला, पुरोहितों का बास, काली पहाड़ी दौसा राजस्थान -303325
3. श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री बुराराम मीणा पता:- ढाणी कोथवालों की, गांव गडोली, पोस्ट हंसमहल तहसील बस्सी राजस्थान-303305

अप्रार्थीगण

प्रा० पत्र अ०धा० 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री महेश शर्मा , अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 16.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात नाम ए.यू. हस्सिग फाईनेंस लिमिटेड) ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्रीमती प्रियंका देवी पत्नि श्री सुदामा मीणा पता:- बानवाली की ढाणी, मेवालों का मोहल्ला, पुरोहितों का बास, काली पहाड़ी दौसा राजस्थान व अन्य को 3,00,000/- (रुपये तीन लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात नाम ए.यू. हस्सिग फाईनेंस लिमिटेड) को सुना गया। हमने प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात नाम ए.यू. हस्सिग फाईनेंस लिमिटेड) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात नाम ए.यू. हस्सिग फाईनेंस लिमिटेड) को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति श्रीमती प्रियंका देवी पत्नि श्री सुदामा मीणा की सम्पत्ति पट्टा नं० 36, बुक नं० 07, मिसल नं० 32, गांव मेवालों की ढाणी, पुरोहितों का बास, ग्राम पंचायत काली पहाड़ी, पंचायत समिति दौसा जिला दौसा क्षेत्रफल 396 वर्गगज जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात नाम ए.यू. हस्सिग फाईनेंस लिमिटेड) को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा